

04<sup>9</sup>/<sub>24</sub> आज यह पत्रावली पेश हुई। वारी  
के वकील रुपच। वारी वकील दापू  
निवेदन किया कि पत्रकारों का पत्रावली  
में आवाजी सफाई से राजीनामा है। अर्थात्  
जब पत्रावली में आगे कार्यवाही  
नहीं चाली है। इसलिए पत्रावली नोट-  
प्रेस में खारिज करने का निर्देश  
किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन  
किया गया। पत्रावली में पत्रकारों का आप  
में राजीनामा होने से पत्रावली को आगे नहीं  
में कोई ऑरिजिनल नहीं है। अतः पत्रावली  
इसी स्तर पर नोट-प्रेस में खारिज की  
जाती है। पत्रावली जैसा हुआ होकर  
नम्बर से कम के बाद प्रति दालिद दाल  
है।

**उपखण्ड अधिकारी**  
बहादुर (कांठपुलसी-बहादुर)